

वर्ष 2010-11 के लिये विद्युत दर निर्धारण के मुख्य बिन्दु तथा गत वर्ष से नई विद्युत दरों की तुलना

- I.** यह विद्युत दर निर्धारण आदेश 1 जून 2010 से प्रभावी है ।
- II.** वर्ष 2010-11 के लिये जारी विद्युत दर निर्धारण आदेश के मुख्य बिन्दु निम्नानुसार है :-

1. विद्युत वितरण कम्पनियों द्वारा विद्यमान दरों में लगभग 24% की वृद्धि प्रस्तावित की है एवं इसके साथ 3,481 करोड़ रु. की नियामक आस्तियां भी प्रस्तावित की है जिनका भविष्य में दावा किया जाना प्रस्तावित है । इसके विरुद्ध आयोग द्वारा विद्युत दरों में 10.66% की वृद्धि स्वीकृत की है व प्रस्तावित नियामक आस्तियों को स्वीकृत नहीं किया गया है ।
2. रु. 15175/- करोड़ की कुल राजस्व आवश्यकता विद्युत वितरण कम्पनियों द्वारा प्रस्तावित की गई थी, जिसके विरुद्ध आयोग द्वारा रु. 10478/- करोड़ की कुल राजस्व आवश्यकता को ही ग्राह्य किया गया है । विभिन्न उपभोक्ता श्रेणियों के लिये विद्युत दरों का निर्धारण किया गया है ताकि वितरण कम्पनियों को आयोग द्वारा ग्राह्य कुल राजस्व आवश्यकता के अनुरूप राजस्व की प्राप्ति हो सके ।
3. आयोग द्वारा पूर्व क्षेत्र एवं पश्चिम क्षेत्र, विद्युत वितरण कम्पनियों द्वारा अधिक स्तर के वितरण हानियों के प्रस्ताव को स्वीकार नहीं किया गया है । तीनों विद्युत वितरण कम्पनियों को विनियम में दिये गये प्रावधानों के अनुरूप ही वितरण हानियों के स्तर को ग्राह्य किया गया है ।

प्रस्तावित एवं ग्राह्य वितरण हानियों का स्तर

कम्पनी	प्रस्तावित	ग्राह्य
पूर्व	32.5%	30%
पश्चिम	29.76%	26%
मध्य	33%	33%

4. ऐसे घरेलू उपभोक्ता जिनकी खपत 30 यूनिट या उससे कम है, उनकी विद्युत दरों में केवल 7.59% की ही वृद्धि की गई है ।

5. निम्न दाब औद्योगिक उपभोक्ताओं के लिये संयोजित भार की वर्तमान अधिकतम सीमा को 100 हा.पा. से बढ़ाकर 150 हा.पा. कर दिया गया है ।
6. उच्च दाब उपभोक्ताओं के लिये प्रवेश स्तर की संविदा मांग की न्यूनतम सीमा को 60 के.वी.ए. से घटाकर 50 के.वी.ए. किया गया है ।
7. 100 के.वी.ए. तक की संविदा मांग वाले उच्च दाब उपभोक्ताओं के लिये न्यूनतम खपत की सीमा को कम किया गया है इससे उपभोक्ताओं को निम्न दाब से उच्च दाब में जाने में आसानी होगी ।
8. रेलवे ट्रेक्शन उच्च दाब श्रेणी पर स्थाई प्रभारों को लागू करने का प्रावधान किया गया है तथा अब केवल निम्न दाब कृषि उपभोक्ताओं को छोड़कर सभी श्रेणियों में स्थाई प्रभार का प्रावधान हो गया है ।
9. पंजीकृत सहकारिता समूह आवासीय समितियों के अतिरिक्त अब अन्य पंजीकृत समूह आवासीय समितियों को भी एक बिन्दु पर उच्च दाब कनेक्शन देने का प्रावधान किया गया है ।
10. भार कारक प्रोत्साहन (लोड फेक्टर इन्सेंटिव) की गणना तथा इसके रेट का युक्ति-युक्तकरण किया गया है ।
11. विद्युत उत्पादकों (कैप्टिव उत्पादकों सहित) को वितरण प्रणाली से जोड़ने के लिये दरों का प्रावधान किया गया है ।

III. वित्तीय वर्ष 2010-11 के लिए जारी टेरिफ आदेश के दरों की तुलना पिछले वर्ष के टेरिफ आदेश 2009-10 के साथ की गई है एवं निम्नानुसार है।

निम्न दाब उपभोक्ता :

श्रेणी एल.वी. 1 -घरेलू उपभोक्ता :

पुरानी व नई दरों की तुलना:

नई दरें (टेलीस्कोपिक) टेरिफ आदेश 2010-11 अनुसार				पुरानी दरें (टेलीस्कोपिक) टेरिफ आदेश 2009-10 अनुसार			
प्रतिमाह यूनिट की खपत	मासिक स्थाई प्रभार (रु.) शहरी क्षेत्र	मासिक स्थाई प्रभार (रु.) ग्रामीण क्षेत्र	प्रति यूनिट दर (रु)	प्रतिमाह यूनिट की खपत	मासिक स्थाई प्रभार (रु.) शहरी क्षेत्र	मासिक स्थाई प्रभार (रु.) ग्रामीण क्षेत्र	प्रति यूनिट दर (रु.)
उपभोक्ता जिनकी मासिक खपत 30 यूनिटों से ज्यादा न हो एवं स्वीकृत भार 100 वाट से ज्यादा न हो।	0	0	2.85	0-30	0	0	2.65
50 यूनिट तक	20 प्रति कनेक्शन	10 प्रति कनेक्शन	3.15	0-50 (30 यूनिट से ज्यादा खपत के लिये) सभी यूनिटों पर लागू	10 प्रति कनेक्शन	5 प्रति कनेक्शन	2.90
51-100	40 प्रति कनेक्शन	20 प्रति कनेक्शन	3.60	51-100	20 प्रति कनेक्शन	10 प्रति कनेक्शन	3.30
101-200	55 प्रति आधे किलोवाट के अधिकृत भार के लिये	35 प्रति आधे किलोवाट के अधिकृत भार के लिये	4.35	101-200	40 प्रति आधे किलोवाट के अधिकृत भार के लिये	20 प्रति आधे किलोवाट के अधिकृत भार के लिये	3.90
>200	60 प्रति आधे किलोवाट के अधिकृत भार के लिये	50 प्रति आधे किलोवाट के अधिकृत भार के लिये	4.50	>200	45 प्रति आधे किलोवाट के अधिकृत भार के लिये	30 प्रति आधे किलोवाट के अधिकृत भार के लिये	4.00

श्रेणी एल.वी. 2 – गैर-घरेलू उपभोक्ता :

उप श्रेणी एल.वी 2.1

क्रमांक	उप श्रेणी	नई दरें टेरिफ आदेश 2010-11 अनुसार			पुरानी दरें टेरिफ आदेश 2009-10 अनुसार		
		विद्युत प्रदाय दर (रु. प्रति यूनिट) शहरी/ग्रामीण	प्रतिमाह स्थाई प्रभार शहरी क्षेत्र (रूपये में)	प्रतिमाह स्थाई प्रभार ग्रामीण क्षेत्र (रूपये में)	विद्युत प्रदाय दर (रु. प्रति यूनिट) शहरी/ग्रामीण	प्रतिमाह स्थाई प्रभार शहरी क्षेत्र (रूपये में)	प्रतिमाह स्थाई प्रभार ग्रामीण क्षेत्र (रूपये में)
1	संयोजित भार के आधार पर	4.55	60 प्रति कि. वा	40 प्रति कि.वा	4.00	40 प्रति कि.वा.	20 प्रति कि.वा
2	(ऐच्छिक) डिमाण्ड आधारित दर 10 कि.वा. या उससे अधिक भार के लिये	4.55	150 प्रति कि.वा.या रु. 120 प्रति केवीए मासिक बिलिंग डिमाण्ड पर	90 प्रति कि.वा. या रु.72प्रति केवीए मासिक बिलिंग डिमाण्ड पर	4.00	120 प्रति कि.वा.या रु.96 प्रति केवीए मासिक बिलिंग डिमाण्ड पर	75 प्रति कि.वा. या रु. 60 प्रति केवीए मासिक बिलिंग डिमाण्ड पर

उप श्रेणी एल.वी. 2.2

उप श्रेणी	नई दरें टेरिफ आदेश 2010-11 अनुसार			पुरानी दरें टेरिफ आदेश 2009-10 अनुसार		
	मासिक स्थाई प्रभार रु. प्रति कि.वा. शहरी क्षेत्र	मासिक स्थाई प्रभार रु. प्रति कि.वा. ग्रामीण क्षेत्र	विद्युत प्रदाय दर (रु. प्रति यूनिट) शहरी/ग्रामीण क्षेत्र	मासिक स्थाई प्रभार रु. प्रति कि.वा. शहरी क्षेत्र	मासिक स्थाई प्रभार रु. प्रति कि.वा. ग्रामीण क्षेत्र	विद्युत प्रदाय दर (रु. प्रति यूनिट) शहरी/ग्रामीण क्षेत्र
0 से 50 यूनिट तक सभी यूनिटों पर	30	15	5.00	20	10	4.65
प्रति माह 50 यूनिटों से ज्यादा खपत होने पर कुल खपत पर लागू	60	30	5.45	40	20	5.05
(ऐच्छिक) डिमाण्ड आधारित दर 10 कि.वा. या उससे अधिक भार के लिये	165 प्रति कि. वा.या रु.132 प्रति केवीए मासिक बिलिंग डिमाण्ड पर	95 प्रति कि. वा.या रु.76 प्रति केवीए मासिक बिलिंग डिमाण्ड पर	4.55	150 प्रति कि. वा.या रु.120 प्रति केवीए मासिक बिलिंग डिमाण्ड पर	90 प्रति कि. वा.या रु. 72 प्रति केवीए मासिक बिलिंग डिमाण्ड पर	4-00

श्रेणी एल.वी. 3 – सामान्य जल प्रदाय व पथ-प्रकाश संयोजन

उप श्रेणी एल.वी. 3.1

	नई दरें टेरिफ आदेश 2010-11 अनुसार		पुरानी दरें टेरिफ आदेश 2009-10 अनुसार	
	मासिक स्थाई प्रभार (रू./कि.वा.)	विद्युत प्रदाय दर (रू. प्रति यूनिट)	मासिक स्थाई प्रभार (रू./कि.वा.)	विद्युत प्रदाय दर (रू. प्रति यूनिट)
जल प्रदाय				
नगरपालिक निगम/ कॅट बोर्ड	130	3.40	100	3.00
नगरपालिका/नगर पंचायत	110	3.40	90	3.00
ग्राम पंचायत	45	3.40	30	3.00

उप श्रेणी एल.वी. 3.2

	नई दरें टेरिफ आदेश 2010-11 अनुसार		पुरानी दरें टेरिफ आदेश 2009-10 अनुसार	
	मासिक स्थाई प्रभार (रू./कि.वा.)	विद्युत प्रदाय दर (रू. प्रति यूनिट)	मासिक स्थाई प्रभार (रू./कि.वा.)	विद्युत प्रदाय दर (रू. प्रति यूनिट)
सड़क प्रकाश (ट्रेफिक सिग्नलस् सम्मिलित)				
नगरपालिक निगम/कॅट बोर्ड	220	3.50	190	3.10
नगरपालिका/नगर पंचायत	200	3.50	180	3.10
ग्राम पंचायत	45	3.50	30	3.10

श्रेणी एल.वी. 4 – निम्न दाब उद्योग

औद्योगिक उपश्रेणी	नई दरें टैरिफ आदेश 2010-11 अनुसार			पुरानी दरें टैरिफ आदेश 2009-10 अनुसार		
	मासिक स्थाई प्रभार (रू./एच.पी) शहरी क्षेत्र	मासिक स्थाई प्रभार (रू./एच.पी) ग्रामीण क्षेत्र	प्रति यूनिट दर (रू./कै.डब्ल्यू.एच) शहरी/ग्रामीण क्षेत्र	मासिक स्थाई प्रभार (रू./एच.पी) शहरी क्षेत्र	मासिक स्थाई प्रभार (रू./एच.पी) ग्रामीण क्षेत्र	प्रति यूनिट दर (रू./कै.डब्ल्यू.एच) शहरी/ग्रामीण क्षेत्र
25 एच.पी. तक	55 प्रति एच.पी	15 प्रति एच.पी	3.50	45 प्रति एच.पी	10 प्रति एच.पी	3.25
मांग आधारित टैरिफ (संविदा मांग एवं संयोजित भार 100 एच.पी. तक के लिए)	180 प्रति कि.वा.	75 प्रति कि.वा.	4.55	165 प्रति कि.वा.	60 प्रति कि.वा.	4.15
मांग आधारित टैरिफ (संविदा मांग 100 एच.पी. तक तथा संयोजित भार 100 एच.पी. से अधिक लेकिन 150 एच.पी. से अधिक नहीं)	250 प्रति कि.वा.	175 प्रति कि.वा.	4.55	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
मांग आधारित टैरिफ (संविदा मांग 100 एच.पी. से अधिक एवं 150 एच.पी. तक तथा संयोजित भार 150 एच.पी. से अधिक नहीं) (केवल विद्यमान उपभोक्ताओं के लिए)	250 प्रति कि.वा.	175 प्रति कि.वा.	4.55	220 प्रति कि.वा.	220 प्रति कि.वा.	4.30

श्रेणी एल.वी. 5 – कृषि एवं कृषि के अलावा अन्य प्रयोजन हेतु संयोजन

उप श्रेणी एल.वी. 5.1 कृषि

खपत प्रतिमाह	नई दरें टैरिफ आदेश 2010-11 अनुसार		पुरानी दरें टैरिफ आदेश 2009-10 अनुसार	
	मासिक स्थाई प्रभार	विद्युत प्रदाय दर (रू. प्रति यूनिट)	मासिक स्थाई प्रभार	विद्युत प्रदाय दर (रू. प्रति यूनिट)
प्रथम 300 यूनिट्स	-	2.80	-	2.50
300 यूनिट्स से अधिक	-	3.30	-	3.00
अस्थाई संयोजन	-	3.80	-	3.50

उप श्रेणी एल.वी. 5.2 कृषि के अलावा अन्य प्रयोजन हेतु दरें

खपत प्रतिमाह		नई दरें टैरिफ आदेश 2010-11 अनुसार		पुरानी दरें टैरिफ आदेश 2009-10 अनुसार	
5.2	अन्य कृषि उपयोग हेतु	मासिक स्थाई प्रभार	विद्युत प्रदाय दर (रु. प्रति यूनिट)	मासिक स्थाई प्रभार	विद्युत प्रदाय दर (रु. प्रति यूनिट)
अ)	शहरी क्षेत्रों में 25 एच.पी तक	रु. 50 प्रति एच.पी	3.30	रु. 45 प्रति एच.पी	3.20
ब)	ग्रामीण क्षेत्रों में 25 एच.पी तक	रु. 15 प्रति एच.पी	3.30	रु. 10 प्रति एच.पी	3.20
स)	शहरी क्षेत्रों में 25 एच.पी से अधिक और 100 एच.पी . तक	रु. 128/-केवीए या रु. 160/- प्रति कि.वा. मासिक बिलिंग डिमाण्ड पर	4.25	रु. 120/-केवीए या रु. 150/- प्रति कि.वा. मासिक बिलिंग डिमाण्ड पर	4.10
द)	ग्रामीण क्षेत्रों में 25 एच.पी से अधिक और 100 एच.पी तक	रु. 56/-केवीए या रु. 70/- प्रति कि.वा. मासिक बिलिंग डिमाण्ड पर	4.25	रु. 52/-केवीए या रु. 65/- प्रति कि.वा. मासिक बिलिंग डिमाण्ड पर	4.10

उच्च दाब उपभोक्ता :

श्रेणी एच.व्ही. 1 – रेलवे ट्रेक्शन

		नई दरें टैरिफ आदेश 2010-11 अनुसार		पुरानी दरें टैरिफ आदेश 2009-10 अनुसार	
स.क्र.	उपभोक्ता की श्रेणी	मासिक स्थाई प्रभार (रु./ केवीए)	रु. प्रति यूनिट	मासिक स्थाई प्रभार (रु./ केवीए)	रु. प्रति यूनिट
1	रेलवे ट्रेक्शन	200	4.50	लागू नहीं	4.77

श्रेणी एच.व्ही. 2 – कोल माईन्स

वोल्टेज लेवल	नई दरें टैरिफ आदेश 2010-11 अनुसार			पुरानी दरें टैरिफ आदेश 2009-10 अनुसार		
	मासिक स्थाई प्रभार (रू./केवीए)	रू. प्रति यूनिट 50% लोड फेक्टर तक की खपत के लिये	रू. प्रति यूनिट 50 % लोड फेक्टर से अधिक की खपत के लिये	मासिक स्थाई प्रभार (रू./केवीए)	रू. प्रति यूनिट 50% लोड फेक्टर तक की खपत के लिये	रू. प्रति यूनिट 50 % लोड फेक्टर से अधिक की खपत के लिये
11 कि.वा	420	4.70	3.90	380	4.30	3.60
33 कि.वा	430	4.50	3.70	385	4.05	3.38
132 कि.वा	440	4.40	3.60	390	3.90	3.23
220 कि.वा	450	4.30	3.50	400	3.80	3.15

एच.वी. – 3 औद्योगिक, गैर औद्योगिक एवं शॉपिंग मॉल ।

एचवी 3. : औद्योगिक						
वोल्टेज लेवल	नई दरें टैरिफ आदेश 2010-11 अनुसार			पुरानी दरें टैरिफ आदेश 2009-10 अनुसार		
	मासिक स्थाई प्रभार (रू./के.व्ही.ए)	रू. प्रति यूनिट 50% लोड फेक्टर तक की खपत के लिये	रू. प्रति यूनिट 50 % लोड फेक्टर से अधिक की खपत के लिये	मासिक स्थाई प्रभार (रू./केवीए)	प्रति यूनिट दर (रू) 50% लोड फेक्टर तक की खपत के लिये	प्रति यूनिट दर (रू.) 50 % से अधिक लोड फेक्टर की खपत के लिये
11 के.व्ही	180	4.50	3.60	160	4.00	3.35
33 के.व्ही	280	4.27	3.25	250	3.80	3.15
132 के.व्ही	375	3.95	3.10	340	3.50	3.00
220 के.व्ही	400	3.80	3.05	निरंक	निरंक	निरंक
एचवी 3.2 : गैर-औद्योगिक						
वोल्टेज लेवल	मासिक स्थाई प्रभार (रू./के.व्ही.ए)	रू. प्रति यूनिट 50% लोड फेक्टर तक की खपत के लिये	रू. प्रति यूनिट 50 % लोड फेक्टर से अधिक की खपत के लिये	मासिक स्थाई प्रभार (रू./केवीए)	प्रति यूनिट दर (रू) 50% लोड फेक्टर तक की खपत के लिये	प्रति यूनिट दर (रू.) 50 % से अधिक लोड फेक्टर की खपत के लिये
11 के.व्ही	150	4.70	3.90	120	4.30	3.60
33 के.व्ही	240	4.40	3.60	200	4.00	3.30
132 के.व्ही	345	4.05	3.35	300	3.70	3.15

एचवी 3.3 : शॉपिंग मॉल						
वोल्टेज लेवल	मासिक स्थाई प्रभार (रू./के.व्ही.ए)	रू. प्रति यूनिट 50% लोड फेक्टर तक की खपत के लिये	रू. प्रति यूनिट 50% लोड फेक्टर से अधिक की खपत के लिये	मासिक स्थाई प्रभार (रू./केवीए)	प्रति यूनिट दर (रू) 50% लोड फेक्टर तक की खपत के लिये	प्रति यूनिट दर (रू.) 50% से अधिक लोड फेक्टर की खपत के लिये
11 के.व्ही	150	4.80	4.05	125	4.45	3.80
33 के.व्ही	225	4.50	3.75	205	4.15	3.50

एच.वी. - 4 सीजनल

एचवी 4 : सीजनल						
वोल्टेज लेवल	नई दरें टैरिफ आदेश 2010-11 अनुसार			पुरानी दरें टैरिफ आदेश 2009-10 अनुसार		
	मासिक स्थाई प्रभार (रू./के.व्ही.ए)	रू. प्रति यूनिट 50% लोड फेक्टर तक की खपत के लिये	रू. प्रति यूनिट 50% लोड फेक्टर से अधिक की खपत के लिये	मासिक स्थाई प्रभार (रू./केवीए)	प्रति यूनिट दर (रू) 50% लोड फेक्टर तक की खपत के लिये	प्रति यूनिट दर (रू.) 50% से अधिक लोड फेक्टर की खपत के लिये
11 के.व्ही	215	4.60	3.85	180	4.20	3.55
33 के.व्ही	240	4.40	3.65	200	4.00	3.35

एच.वी. - 5 - सिंचाई, जल प्रदाय एवं कृषि के अलावा अन्य

एचवी 5.1 पब्लिक वाटर वर्क्स, गुप इरीगेशन, लिफ्ट इरीगेशन	नई दरें टैरिफ आदेश 2010-11 अनुसार		पुरानी दरें टैरिफ आदेश 2009-10 अनुसार	
	मासिक स्थाई प्रभार (रू./के.व्ही.ए)	प्रति यूनिट दर (रू.)	मासिक स्थाई प्रभार (रू./के.व्ही.ए)	प्रति यूनिट दर (रू.)
11 के.व्ही	145	3.80	120	3.35
33 के.व्ही	165	3.60	130	3.15
132 के.व्ही	185	3.40	150	2.85
एचवी 5 : 2 कृषि के अलावा अन्य उपयोग हेतु				
11 के.व्ही	165	3.85	140	3.40
33 के.व्ही	185	3.65	150	3.20
132 के.व्ही	205	3.50	160	3.00

एच.वी. - 6 - थोक घरेलू उपभोक्ता

एचवी 6 : थोक घरेलू उपभोक्ता	नई दरें टैरिफ आदेश 2010-11 अनुसार			पुरानी दरें टैरिफ आदेश 2009-10 अनुसार		
	मासिक स्थाई प्रभार (रु./के.व्ही.ए)	रु. प्रति यूनिट 50% लोड फेक्टर तक की खपत के लिये	रु. प्रति यूनिट 50 % लोड फेक्टर से अधिक की खपत के लिये	मासिक स्थायी प्रभार (रु./ केवीए)	प्रति यूनिट दर (रु.) 50% लोड फेक्टर तक की खपत के लिये	प्रति यूनिट दर (रु.) 50 % से अधिक लोड फेक्टर की खपत के लिये
एचवी 6: 1 घरेलू जैसे की टाउनशिप इत्यादि						
11 के.व्ही	160	4.10	3.40	120	3.70	3.10
33 के.व्ही	175	3.85	3.20	130	3.50	2.90
132 के.व्ही	190	3.70	3.00	140	3.30	2.70
एचवी 6: 2 घरेलू (रजिस्टर्ड को.आप. गृह समिति)						
11 के.व्ही	100	4.25	3.75	50	3.35	3.00
33 के.व्ही	105	4.15	3.60	50	3.30	2.90
132 के.व्ही	110	4.00	3.45	50	3.20	2.80

एच.वी. - 7 - रूरल कापरेटिव सोसायटी तथा विद्युत अधिनियम की धारा 13 के तहत प्राप्त छूट से अधिकृत थोक उपभोक्ता

एच.व्ही. 7 : छूट प्राप्त थोक उपभोक्ता (धारा 13 के तहत)	नई दरें टैरिफ आदेश 2010-11 अनुसार		पुरानी दरें टैरिफ आदेश 2009-10 अनुसार	
	मासिक स्थाई प्रभार (रु./ के.व्ही.ए)	प्रति यूनिट दर (रु.)	मासिक स्थाई प्रभार (रु./के.व्ही.ए)	प्रति यूनिट दर (रु.)
ग्रामीण विद्युत सहकारी समिति	200	3.20	165	2.85
ग्रामीण क्षेत्रों में घरेलू व कृषि के मिश्रित उपयोग हेतु	100	2.60	60	2.20
शहरी क्षेत्रों घरेलू व गैर घरेलू मिश्रित उपयोग हेतु	150	3.20	110	2.70

उक्त संक्षेपिका हिन्दी में अनुवादित की गई है । यदि अनुवाद में कोई त्रुटि होगी तो टैरिफ आदेश में दिये गये संबंधित शर्तें इत्यादि का विवरण मान्य होगा । आयोग द्वारा दिनांक 18.05.2010 को जारी टैरिफ आदेश आयोग की वेबसाइट www.mperc.org में उपलब्ध है।